

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर
॥ आदेश ॥

क्रमांक C/1443 / पेंशन
चार—9—05/2019

जबलपुर, दिनांक 20/03/2019

श्री राजेन्द्र प्रसाद कोष्टा, सहायक ग्रेड—एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 42 (1) (ए) के अंतर्गत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 21.02.2019 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, श्री राजेन्द्र प्रसाद कोष्टा, सहायक ग्रेड—एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 31.03.2019 अपरान्ह से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार^{सही/-}
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1444/पेंशन
चार—9—05/2019

जबलपुर, दिनांक 20/03/2019

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, कोष लोरवा एवं पेंशन, जबलपुर
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर (म090)
3. जिला पेंशन अधिकारी, कार्यालय जिला पेंशन जबलपुर
4. रजिस्ट्रार, प्रशासन/न्यायिक—एक एवं दो/टीई/की०एल०/ई०/आई.टी.
5. माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक, सी पी ओ लोरवा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
9. श्री असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
10. श्री अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. सहायक, स्थापना, सेवापुस्तिका, अवकाश, वेतनपत्रक, अग्रिम, टी०ए०, शिकायत, कम्प्यूटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
12. अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाईपर्स्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
13. राजेन्द्र प्रसाद कोष्टा, सहायक ग्रेड—एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ. आर.के.मिश्र)
ओ.एस.डी.(लोरवा)